दिनांक 21.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 38/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा 35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा भवन के उच्चीकृत कार्य का किया गया लोकार्पण

श्री राजीव कृष्णा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 21.11.2025 को 35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ परिसर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा भवन के उच्चीकृत कार्य का लोकार्पण किया गया।

लोकार्पण के उपरांत पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पीएसी संग्रहालय का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान प्रांतीय सशस्त्र बल के गौरवशाली इतिहास, विरासत एवं महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न पहलूओं का अवलोकन किया गया तथा संग्रहालय में प्रदर्शित दस्तावेजों, संस्मरणों एवं ऐतिहासिक धरोहरों की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया गया।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिकारियों से पीएसी की भावी योजनाओं, संसाधनों के उन्नयन एवं बल की क्षमता-वृद्धि से जुड़े विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर डॉ. आर.के. स्वर्णकार, अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, श्री अनीस अहमद, पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय लखनऊ, श्रीमती सुनीता सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी लखनऊ, श्री किरीट राठोड, पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी लखनऊ अनुभाग, तथा सेनानायक, 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, श्री अमित कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहें।

पी०ए०सी०
बोस क्रीड़ा स्थल
कार्य का लोकार्पण
कृष्णा
भा०पु०से०
उत्तर प्रदेश
द्वारा
2025 को
स्वर्णकार,
भा०पु०से०
पी०ए०सी०, उ०प्र०
सम्पन्न हुआ।
डा० प्रीतिन्दर सिंह भा०पु०से०
पुलिस महानिरीक्षक
पीएसी मध्य जोन, लखनऊ

CHAUDHARY
JUNAID

दिनांक 21.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 39/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–महिला स्वास्थ्य मिशन ट्रस्ट एवं धार्मिक आयोजन के नाम पर संस्था/ट्रस्ट बनाकर ठगी करने वाले गैंग का एक सक्रिय सदस्य आगरा से गिरफ्तार।

दिनांक 20–11–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को महिला स्वास्थ्य मिशन ट्रस्ट एवं धार्मिक आयोजन के नाम पर संस्था बनाकर ठगी करने वाले गैंग के एक सक्रिय सदस्य को आगरा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1– रवि प्रकाश पुत्र बनारसी प्रसाद निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना खुखुन्दू देवरिया उ0प्र0।

बरामदगीः-

1– 02 आईडी0 कार्ड (अजय सिंह व रवि प्रकाश)
2– 08 अदद एटीएम कार्ड।
3– 02 पेन कार्ड।
4– 03 सिम कार्ड।
5– 03 अदद पासबुक।
6– 05 रसीद की गड्डी (महिला स्वास्थ्य मिशन ट्रस्ट)
7– 01 कार होण्डा सिटी ब्लैक यू0पी0 80 ए0ई0 6768,
8– 01 कार ईको स्पोर्ट यू0पी0 14 सी0ई0 5899,
9– 08 अदद चेकबुक। (अलग–अलग बैकों के)
10– 01 लैपटाप लेनेवो।
11– 04 मोहरे।
12– 01 स्वैप मशीन इन्डश बैंक।
13– 02 आधार कार्ड।
14– 03 मोबाइल फोन।
15– 32 अदद ट्रस्ट का कार्ड।
16– 10,000 रू0 नगद ।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-</u>

महाजन काम्पलेक्स आवास विकास, कालोनी के बाहर थाना क्षेत्र जगदीशपुरा, आगरा दिनांक 20—11—2025 समय 21.10 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को महिला स्वास्थ्य मिशन ट्रस्ट एवं धार्मिक आयोजन के नाम पर संस्था बनाकर ठगी करने वाले गैंग की सूचना प्राप्त हो रही थी, इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा इकाई को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेष, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन को विकसित कर कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त क्रम में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई आगरा टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि टीम महिला स्वास्थ्य मिशन ट्रस्ट एवं धार्मिक आयोजन के नाम पर संस्था बनाकर ठगी करने वाला रवि प्रकाश महाजन कम्पलेक्स आवास विकास कालोनी के बाहर मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हमारे गैंग का सरगना अजय उर्फ विल्लू, एलिस एवं उसके कुछ साथी है, जो कि वाट्एसअप/टेलीग्राम एप पर ही वार्ता करते है। हम लोग महिला स्वास्थ्य मिषन व धार्मिक आयोजन के दौरान निर्धन जनो के मोबाइल नम्बर, बैंक खाता ले लेते थे और उनके खातो में भिन्न भिन्न स्थानो से साइबर फ्राड का पैसा डलवाते थे। प्राप्त हुए चन्दा के नगद धन को बांट लेते थे इससे प्राप्त नगद पैसा हमारा व ऑनलाइन पैसा अजय, एलिस अन्य का होता था। बरामद गाडियो का प्रयोग हम लोग उक्त अपराध को संचालित करने मे करते थे। साइबर फ्राड का लाखो रूपया खातो में आता था उसका कुछ हिस्सा हमे मिलता था उसी से हम अवैध कार्य का संचालन करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना जगदीशुपरा कमिष्नरेट आगरा में मु0अ0सं0 800/2025 धारा धारा 318(4)/61(2) बी0एन0एस0 व 66 डी आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट लखनऊ द्वारा उड़ीसा से लाकर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 अन्तर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार कर, कब्जे से 55 किलोग्राम अवैध गाँजा (जिसका कीमत लगभग 27 लाख 50 हजार रू0), 02 अदद मोबाइल फोन व 1,500/– रू0 नगद बरामद किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक ए0एन0टी0एफ लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ यूनिट लखनऊ द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 अन्तर्राज्यीय सक्रिय तस्कर जिसका नाम (1) अनिकेत तिवारी पुत्र नन्दकिशोर तिवारी नि0 सीकी डीहा,मजरे घाटमपुर थाना इनायत नगर, अयोध्या (2) श्रीकान्त वर्मा पुत्र रामयज्ञ वर्मा नि0 ग्रा0–सबई, थाना जयसिंहपुर, सुल्तानपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 55 किलो ग्राम अवैध गाँजा (जिसका कीमत 27 लाख 50 हजार रूपये), 02 अदद मोबाइल फोन व 1,500/– रू0 नगद बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर पर मु0अ0सं0 506/25 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि यह लोग माल उड़ीसा से लाकर सुल्तानपुर, अयोध्या व आस–पास के जनपदों में ग्राहक तलाश कर विक्रय करते है। आज यह लोग अवैध गांजे की डिलीवरी करने जा रहे थे, कि रास्ते में आप लोगों ने पकड़ लिया। इस अपराध में संलिप्त इसके अन्य एक सहयोगियों के विरूद्ध भी जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1.अनिकेत तिवारी पुत्र नन्दकिशोर तिवारी नि0 पुरे सिकीडीह एचओ घाटमपुर थाना इनायतनगर अयोध्या उम्र 23 वर्ष।

2.श्रीकान्त वर्मा पुत्र रामयज्ञ वर्मा नि0 सबई थाना व तहसील जयसिंह पुर जनपद सुल्तानपुर उम्र 28 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान–

दिनांक– 21.11.2025 स्थान– हनुमान बाजार जाने की तरफ वाले मार्ग पर, थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी का विवरण

1. 55 किलो ग्राम अवैध गाँजा (जिसका कीमत 27 लाख 50 हजार रूपये),।
2. 02 अदद मोबाइल फोन ।
3. 1,500/— रू0 नगद ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण— ए0एन0टी0एफ0 आपरेशनल यूनिट लखनऊ

1. निरीक्षक दर्शन यादव
2. हे0का0 संगम पटेल
3. हे0का0 दिनेश सिंह
4. हे0का0 मो0 खालिद खान
5. का0 राजन कुमार

सहयोगार्थ टीम थाना कोतवाली देहात सुल्तानपुर—

1. व0उ0नि0 श्री हवलदार सिंह यादव
2. हे0का0 प्रदीप सरोज
3. हे0का0 संतोष कुमार

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 21.11.2025 को थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मझेडा रजवाहा मार्ग पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गय़ी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त बाबा चौधरी उर्फ आरिस उर्फ सोनू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शामली, मुजफ्फरनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद व चंदीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना शाहपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बाबा चौधरी उर्फ आरिस उर्फ सोनू निवासी रघुवीर इन्कलेव पसौडा थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद, मूलपता ग्राम तावली थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना कटरा

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नकद रुपये, 02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 21.11.2025 को थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कमलापुर नहर पुलिया के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गय़ी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त शानू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नकद रुपये, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो थाना कटरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कटरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शानू निवासी ग्राम कमलनैनपुर थाना कांठ जनपद शाहजहाँपुर ।

<u>बरामदगी</u>

1–नकद रुपये, 02 मोबाइल फोन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस आदि।

<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मडियांव</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **50 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 21.11.2025 को थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिठौली तिराहा के पास से 03 अभियुक्तों 1–जीशान गाजी उर्फ छोटू 2–मो0अरशद 3–रियाज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 50 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना मडियांव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मडियांव पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त जीशान गाजी उर्फ छोटू के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में डकैती, चोरी आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त मो0 अरशद के विरूद्ध जनपद लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मडियांव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जीशान गाजी उर्फ छोटू निवासी खदरा थाना मदेयगंज लखनऊ, मूलपता ग्राम चंदाकोडर थाना बीकेटी कमिश्नरेट लखनऊ।

2–मो0अरशद निवासी अबरार नगर खुर्रमनगर थाना इन्दिरानगर लखनऊ, मूलपता ग्राम चंदाकोडर थाना बीकेटी कमिश्नरेट लखनऊ।

3–रियाज निवासी ग्राम पैगम्बरपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–लगभग 30 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–50 हजार रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

- **जनपद बाराबंकी/थाना मसौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मसौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मो0इस्माइल को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अमरोहा/थाना हसनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना हसनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बलराम को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मीरजापुर/थाना जिगना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मीरजापुर द्वारा थाना जिगना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के

अन्तर्गत अभियुक्त रामनरेश को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना रमाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना रमाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त प्रदीप को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————